भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-168

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2023 को दिया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता

168. श्री रोड़मल नागर:
श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तावित/शुरू की जानी हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. दिनांक 30 जून, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 25440 मेगावाट क्षमता की 18 कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं, 370 मेगावाट क्षमता की एक (1) गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना और कुल 18033.5 मेगावाट क्षमता की 42 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। इसके साथ-साथ, कुल 8000 मेगावाट की नाभिकीय क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

2. भारत सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

    i. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना
    ii. सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया, पम्प्ड भंडारण संयंत्रों तथा ऊर्जा भंडारण स्रोतों की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट।

iii. नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए वर्ष 2029-30 तक की ट्रेजेक्ट्री की घोषणा।
iv. आरई परियोजनाओं की बड़े पैमाने पर संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि तथा पारेषण प्रदान करने हेतु अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
v. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप फेज-II, 12,000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) स्कीम फेज-II आदि जैसी स्कीमें।
vi. नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनों को बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना।
vii. ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवाल्टेयिक (पीवी) तथा पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश।
viii. हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन हेतु अधिसूचना।
ix. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की बिक्री को सुगम बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) का शुभारंभ।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने दिनांक 20 जुलाई, 2021 को संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) अधिसूचित की है। 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय और भारत सरकार की ओर से 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ आरडीएसएस एक सुधार-आधारित और परिणाम संबद्ध स्कीम है। मध्य प्रदेश के संबंध में आरडीएसएस के अंतर्गत, मध्य प्रदेश डिस्कॉमों (एमपी मध्य , एमपी पूर्व एवं एमपी पश्चिम) के लिए हानि में कमी सम्बन्धी कार्यों और प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग कार्यों हेतु 18,172 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी गई है। स्कीम के अंतर्गत कार्य निविदाकरण और अवार्ड के विभिन्न चरणों में हैं।

आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत हानि में कमी संबंधी परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश डिस्कॉमों का जिलेवार विवरण **अनुबंध** के रूप में संलग्न किया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 20.07.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आरडीएसएस स्कीम की हानि में कमी संबंधी परियोजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश डिस्कॉमों के जिले-वार ब्यौरे

(i) एमपी मध्य

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**अनुमोदित परियोजना लागत (पीएमए सहित)**
क	हानि में कमी संबंधी कार्य	3259
ख	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	2,776
ग	परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)	59
	कुल	**6,095**

हानि में कमी संबंधी कार्यों का जिलेवार विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**अनुमोदित परियोजना लागत**
1	अशोकनगर	152
2	बेतुल	195
3	भिंड	221
4	भोपाल	374
5	दतिया	162
6	गुना	142
7	ग्वालियर	306
8	हरदा	133
9	होशंगाबाद	145
10	मुरैना	198
11	रायसेन	268
12	राजगढ़	133
13	सीहोर	200
14	श्योपुर	156
15	शिवपुरी	256
16	विदिशा	152
17	आईटी/ओटी कार्य	66
	कुल	**3259**

(ii) एमपी पूर्व

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**अनुमोदित परियोजना लागत (पीएमए सहित)**
क	हानि में कमी सम्बन्धी कार्य	3471
ख	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	3387
ग	परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)	65
	कुल	**6,923**

हानि में कमी संबंधी कार्यों का जिलेवार विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**अनुमोदित परियोजना लागत**
1	अनूपपुर	71
2	बालाघाट	186
3	छतरपुर	193
4	छिंदवाड़ा	279

5	दमोह	143
6	डिंडोरी	89
7	जबलपुर	165
8	कटनी	147
9	मंडला	130
10	नरसिंहपुर	100
11	निवाड़ी	68
12	पन्ना	154
13	रीवा	268
14	सागर	225
15	सतना	250
16	सिवनी	208
17	शहडोल	101
18	सीधी	120
19	सिंगरौली	120
20	टीकमगढ़	93
21	उमरिया	117
22	आईटी/ओटी कार्य	244
	कुल	**3471**

(iii) एमपी पश्चिम

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**अनुमोदित परियोजना लागत (पीएमए सहित)**
क	हानि में कमी संबंधी कार्य	2535
ख	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	2572
ग	परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)	47
	कुल	**5,154**

हानि में कमी संबंधी कार्यों का जिलेवार विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**अनुमोदित परियोजना लागत**
1	आगर	62
2	अलीरायपुर	60
3	बड़वानी	129
4	बुरहानपुर	127
5	देवास	281
6	धार	125
7	इंदौर	257
8	झाबुआ	238
9	खंडवा	154
10	खरगोन	201
11	मंदसौर	68
12	नीमच	105
13	रतलाम	148
14	शाजापुर	116
15	उज्जैन	324
16	आईटी/ओटी कार्य	139
	कुल	**2535**

****